FEROZE GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAEBARELI

Ref: -6638 /FGIET/RBL/2013 **Date: 07-11-2013**

वर्ष 2013–14 में शुल्क प्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने हेतु अर्ह छात्र–छात्राओं के लिए अत्यावश्यक सूचना

संस्थान में बी0टेक0 व एम0सी0ए0 में अध्ययनरत सभी वर्गों के उन सभी अर्ह छात्र–छात्राओं को सूचित किया जता है कि वर्ष 2013–14 में शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति हेतु सभी को आन लाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट **www.scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

आन लाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की दो प्रतियॉ सभी संलग्नकों सहित अपने विभाग के लिपिक के पास जमा करनी होगी। आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व भरे हुए आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व संलग्नकों की जॉच के उपरान्त सम्बन्धित लिपिक से पावती लेना भी सभी छात्र–छात्राओं के लिए अनिवार्य है।

आवेदन पत्र के साथ जिन अभिलेखों की छाया प्रतियॉ व शपथ पत्र लगााना है, उनका विवरण / प्रारुप संस्थान के वेबसाइट **www.fgiet.ac.in** पर उपलब्ध है, जिन्हें छात्र–छात्राएं डाउनलोड कर लें। इस संदर्भ में कोई भी जानकारी अर्ह छात्र–छात्राएं अपने विभागीय लिपिकों से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं।

(आर.पी.शर्मा)
निदेशक

DIRECTOR
Feroze Gandhi Institute of Engg. & Technology
RAEBARELI-229001

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित–

1	श्रीमती डा0 सीमा शर्मा	संस्थान कार्यालय।
2	श्री शिव प्रसाद	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0।
3	श्री आनन्द अवस्थी	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजी0।
4	श्री सुनील द्विवेदी	मैकेनिकल इंजी0 एवं एयरोनॉटिकल इंजी0।
5	श्री विनय पाण्डये	एम0सी0ए0।
6	समस्त नोटिस बोर्ड	संस्थान व छात्रावास।

(आर.पी.शर्मा)
निदेशक

छात्र एंव संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनॉक ....को (1) कु./श्रीमती/श्री........................आयु...........वर्ष............पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री...... ....जाति....................निवासी ग्राम/मु0...................डाकखाना..................तहसील.........................जिला......................जिसे एतत्पश्चात छात्र/छात्रा कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एंव निष्पादक सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) ।

(2) <u>राम प्रताप शर्मा</u> (आर0पी0शर्मा0) (संस्थाध्यक्ष) पता **<u>फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी</u>** जनपद **<u>रायबरेली</u>** (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है)जो केन्द्र /राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात संस्था कहा गया है जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एंव निष्पादक सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

चूॅकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है,जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि दशमोत्तर सामान्य वर्ग दिशा–निर्देश 2012 में उल्लिखित है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में यह अनुबन्ध पत्र निम्नलिखित साक्षी है, जिसकी शर्ते निम्नवत है, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एंव संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा–निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एंव संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी संबन्धित छात्र को निर्धारित प्रारुप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति) आवेदन पत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से छात्र के आवेदन पत्र के अर्ह पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त द्वितीय पक्ष स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एंव शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर में डाटा ईन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्डकापी डाटा का मिलान करायेगा एंव त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करायेगा।

4– द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबन्धित शिक्षा विभाग के माध्यम से संबन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।

5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के बैंक खाते में अनुरक्षण भत्ता की पूरी धनराशि एंव निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।

6– <u>प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एंव द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।</u>

7– प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो,में प्रतिभाग करेगा।

8– द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सेमेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की सूचना निर्धारित प्रारुप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराकर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने में जिला समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग करेगा।

9– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।

10–प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अन्दर, द्वितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एंव प्राप्ति रसीद लेगा।

प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को शुल्क की धनराशि भुगतान कर देने की दशा में उसे द्वितीय पक्ष को कोई धनराशि जमा नहीं करना है।

11–छात्रवृत्ति संबन्धी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष इस संबन्ध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।

12–उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा –निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जमा करेगा।

1– प्रथम पक्ष–(छात्र / छात्रा)	**द्वितीय पक्ष**–(संस्थाध्यक्ष)
हस्ताक्षर–..........................	हस्ताक्षर–............................
नाम......................................	नाम– **राम प्रताप शर्मा**
पिता / पति का नाम–......................	पदनाम– निदेशक
पता..	पिता का नाम –श्री राज बहादुर शर्मा
	पता **फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,रतापुर ,रायबरेली**

<u>प्रथम पक्ष के दो गवाह–</u>	**<u>द्वितीय पक्ष के दो गवाह</u>**–
1– हस्ताक्षर–..........................	**1–** हस्ताक्षर–............................
नाम......................................	नाम– **डा0 राकेश बाजपेई**
पिता / पति का नाम–......................	पदनाम–(एसोसिएट प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक कम्यूनिकेशन एण्ड इंजी0)
पता..	पिता का नाम – श्री महेन्द्र नारायण बाजपेई
	पता **फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,रतापुर ,रायबरेली**

छात्र–छात्रा के माता/ पिता/अभिभावक द्वारा देय शपथ पत्र (रु010/–स्टाम्प पेपर पर)

ukVjh }kjk

मैं..(छात्र–छात्रा के पिता/माता/अविभावक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.................................... .जो ग्राम..................मुहल्ला................जनपद.....................का निवासी हूॅ, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूॅ–

मेरे पुत्र/पुत्री./संरक्षित...(छात्र/छात्रा का नाम) जो कि फिरोज गॉधी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी ,रायबरेली में.............................पाठ्यक्रम........................वर्ष का छात्र/की छात्रा है, के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एंव इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है।

यदि किसी प्रकार की जॉच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है तो उसके लिए हस्ताक्षर कर्ता ....(शपथकर्ता) पूर्ण जिम्मेदार होगा।

दिनॉक–

'kiFkh d: gLrk{kj------------------------------

Ukke--

firk@ifr dk uke-----------------------------

irk---

Ikfjf'k"V&p

Nk=&Nk=k }kjk n; 'kiFk i= ¼#010@&LVkEi isij ij½

Lke{k

lLFkk/;{k@ftyk lekt dY;k.k vf/kdkjh¼tks mfpr gks½

मैं...(छात्र–छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री श्री..................................जो ग्राम.................मुहल्ला......................जनपद.. ....का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ—

1– यह कि मैं ग्राम ....मुहल्ला ....तहसील..............................जिला........................उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ।(सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2–यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट **<u>सामान्य वर्ग</u>** का हूँ/की हूँ।

3– यह कि मेरे माता–पिता,विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपया.....................है। (तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)

4– यह कि सम्प्रति मैं....................................(छात्र–छात्रा) शैक्षिक संस्थान **फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,रतापुर ,रायबरेली** में ....पाठ्यक्रम में......................... वर्ष में संस्थागत छात्र–छात्रा के रुप में अध्ययनरत हूँ। संस्था xkSre cq) iksfof/kd fo'ofo|ky;]y[kuÅ से मान्यता प्राप्त है।

5– यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।

6– यह कि मैंने पिछली परीक्षा ....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं।

7–यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।

8– यह कि मेरा बचत खाता संख्या.................................बैंक..........................के................................शाखा में खुला हुआ है।

9– यह कि उक्त संस्था में मैंने शुल्क रु0 .... प्रवेश के समय रसीद सं0 ....दिनॉक...................के द्वारा जमा किया है तथा अब इस वर्ष मेरा कोई शुल्क अवशेष नहीं हैं।

उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एंव मेरी पूर्ण जानकारी में है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनॉक–

शपथी के हस्ताक्षर..............................

नाम...

पिता/पति का नाम...........................

पता...

(प्रारुप)

छात्र/छात्रा द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र ¼#010@&LVkEi iSij ij½

मैं ....(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....................................निवासी................ ....फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ,रायबरेली में ....पाठ्यक्रम ....वर्ष में अध्ययनरत हूॅ। यह घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ।

मेरे माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और मेरा प्रवेश इस संस्थान में निःशुल्क नहीं लिया गया है (अर्थात पूर्ण शुल्क भुगतान कर दिया है) तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णता सत्य एंव सही है।

किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर मैं स्वंय उत्तरदायी रहूॅगा/रहूॅगी।

दिनॉक–

छात्र/छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर..........

छात्र/छात्रा का नाम–......................

पिता का नाम–.....................................

छात्र–छात्रा द्वारा देय संस्थान में नियमित उपस्थिति का शपथ पत्र

(रु010/–स्टाम्प पेपर पर)

Lke{k

¼ lLFkk/;{k½

मैं..(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री श्री....................................... निवासी.. ....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ –

1. यह कि सम्प्रति मैं..(छात्र/छात्रा का नाम) शैक्षिक संस्थान **फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,रतापुर ,रायबरेली** में ....पाठ्यक्रम में............................वर्ष में संस्थागत छात्र/छात्रा के रुप में अध्ययनरत हूँ।
2. यह कि मैं.. (छात्र/छात्रा का नाम) संस्थान में प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक विषय की थ्योरी व प्रयोगात्मक के प्रत्येक पीरिएड में नियमित रुप से उपस्थित रहूँगा/रहूँगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी दिन मैं अनुपस्थिति रहता हूँ/रहती हूँ तो उस तिथि की अवकाश स्वीकृति लिखित रुप से प्राप्त करुँगा/करुँगी।
3. यह कि यदि दैनिक नियमित उपस्थिति में मेरे द्वारा की गयी शिथिलता के कारण मेरी छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति नहीं की जाती तो उसके लिए मैं स्वंय उत्तरदायी हूँगा/हूँगी। यदि छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि मेरे बचत खाता में स्थानान्तरित कर दी जाती है, तो कक्षा में अनियमित पाए जाने की दशा में उक्त सम्पूर्ण धनराशि मैं 18% ब्याज के साथ शासन को वापस करने हेतु बाध्य हूँगा/हूँगी।

‘kiFkh d gLrk{kj-------------------------------

Ukke--

firk dk uke--------------------------------------

irk--

<u>**अनुशासित रहने का शपथ पत्र**</u>

<u>***(रु010/–स्टाम्प पेपर पर)***</u>

<u>Lke{k</u>
<u>¼ lLFkk/;{k½</u>

मैं..(छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री श्री... निवासी.. ....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ –

1. यह कि सम्प्रति मैं...(छात्र/छात्रा का नाम) शैक्षिक संस्थान **फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,रतापुर ,रायबरेली** में ....पाठ्यक्रम में.............................. वर्ष में संस्थागत छात्र/छात्रा के रुप में अध्ययनरत हूँ।
2. संस्थान परिसर, संस्थान छात्रावास एंव संस्थान के बाहर मैं किसी के भी साथ अनुशासन हीनता/दुष्कृत्य नहीं करुँगा/करुगी।
3. यदि संस्थान परिसर, संस्थान छात्रावास अथवा संस्थान के बाहर कहीं भी किसी के साथ अनुशासन हीनता या दुष्कृत्य में मुझे लिप्त पाया जाता है तो इस दशा में मेरी छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की स्वीकृति धनराशि निरस्त कर दी जाएगी अथवा इस संदर्भ में स्वीकृति हेतु कोई विचार नहीं किया जाएगा।
4. यदि शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृति कर मेरे बचत खाते में स्थानान्तरित कर दी जाती है, उस दशा में यदि मैं अनुशासनहीनता व किसी दुष्कृत्य में संस्थान परिसर/संस्थान छात्रावास अथवा संस्थान के बाहर भी संलिप्त पाया जाता हूँ तो शुल्कप्रतिपूर्ति/ छात्रवृत्ति की धनराशि 18% ब्याज सहित वापस करने को बाध्य हूँगा/हूँगी।
5. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त सारे प्रकरण हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

'kiFkh dk gLrk{kj-------------------------------

Ukke---

firk dk uke-------------------------------------

irk---

(प्रारुप)

<u>वर्तमान निवास के सम्बन्ध में शपथ पत्र(रु0 10/–के स्टाम्प पेपर पर)</u>

मैं.. (छात्र/छात्रा का नाम) पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती....................................निवासी.................. ....फिरोज गॉधी इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ,रायबरेली में ....पाठ्यक्रम ....वर्ष में अध्ययनरत हूँ।

वर्तमान समय पर मैं ....(छात्र/छात्रा का नाम) श्री/श्रीमती (मकान मालिक का नाम) ....के मकान नं0.....................मोहल्ला..................................जिला रायबरेली में रु0................... मासिक किराये पर रह रहा/रह रही हूँ।

दिनॉक–

छात्र/छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर.................

छात्र/छात्रा का नाम–........................

पिता का नाम–....................................